

92
2024


FORM NO-111

फर्द एहकाम
(नियम 26)

अज अदालत जिला कलेक्टर मुकाम टोंक

इन्द्रजीतसिंह बनाम अति० जिला कलेक्टर, टोंक

किस्म मुकदमा आरटीआई अपील नम्बर 16 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म कया कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख एहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7 $\frac{7}{2024}$	<p>सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील अति० जिला कलेक्टर टोंक के विरुद्ध प्राप्त हुई अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलान्त का आवेदन पत्र दिनांक 8-4-2021 लोक सूचना अधिकारी अति० जिला कलेक्टर टोंक को प्राप्त होने पर उनके द्वारा पत्र क्रमांक 350-51 दिनांक 12-4-2021 से प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग को अन्तरित किया गया था। प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग द्वारा उनके पत्र क्रमांक 1279 दिनांक 5-3-2021 से आयुक्त नगरपरिषद टोंक को आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया है जिसकी सूचना आवेदक को दी जा चुकी है, जिसकी छाया प्रति अपीलान्त ने स्वयं अपील के साथ प्रस्तुत की है। अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील में ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिससे यह साबित हो कि अपीलान्त को लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर टोंक द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई हो। यदि अपीलान्त को आयुक्त, नगर परिषद टोंक ने कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है तो वह नियमानुसार द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सूचना प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। अपील काल्पनिक/प्रश्नात्मक बिन्दुओं का जवाब देने हेतु प्रस्तुत की गई है जो नियमानुसार चलने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। अपील अपीलान्त निर्णित शुमार होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर की जावे।</p>	

जिला कलेक्टर
टोंक